

प्रेषक,

दिनेश राय
प्रमुख सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

Li. 0

सेवा में,

- ✓ 1-सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य अभियंत्रण प्रवेश परीक्षा प्रभाग, लखनऊ।
2-सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग -1

लखनऊ: दिनांक: 23 मई, 2002

विषय: प्रदेश के डिग्री एवं डिप्लोमा अभियंत्रण संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहे का निदेश हुआ है कि विषयांकित प्रकरण पर प्रवृत्त समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुये श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शैक्षिक सत्र-2002-2003 से प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय एवं स्वायत्तशासी डिग्री/ डिप्लोमा स्तरीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण की निम्नवत सुविधा दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क. स.

जिसके लिए आरक्षित है

आरक्षण का प्रतिशत

- 01- अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 21 प्रतिशत।
- 02- अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 2 प्रतिशत।
- 03- नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 27 प्रतिशत।
- 2- उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सम्मूह विवरणा-नुसार कौचित्य प्रकृति का आरक्षण प्रदान किया जायेगा :-

P. Verma

16.6.02

- | | | |
|--------|--|---|
| अ० 1०१ | स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए | प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रदेश सीटों का अधिकतम 2 प्रतिशत |
| १०२ | 30प्र० के सेवानिवृत्त अथवा अवंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में धारे गये रक्षा कर्मियों अथवा 30प्र० में सेना में रक्षा कर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को। | प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रदेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत |
| १०३ | भारी रिक ल्य से निःशक्त जनों के लिए | प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रदेश सीटों का अधिकतम 3 प्रतिशत |

उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य श्रेणियों में से उसी श्रेणी में रखा जायेगा, जिससे वह संबंधित है। उदाहरण के लिए यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को प्रदत्त आरक्षण के अंतर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का है तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सेवारत/व्यतपर्व सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए उपलब्ध आरक्षण के अंतर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी यदि अन्य पिछड़े वर्ग का है तो उसे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा।

3- (लिंग अनुसूची-1 में नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के उल्लिखित अभ्यर्थियों को ही प्रस्ताव-1 के अंश-3 पर उल्लिखित 27% आरक्षण की सुविधा अनुमत्त होगी, परंतु उक्त जातियों के अनुसूची-2 में उल्लिखित श्रेणियों के नागरिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को यह आरक्षण सुविधा अनुमत्त नहीं होगी।

4- यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई अभ्यर्थी खुली प्रतियोगिता में, मेरिट के आधार पर, सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उपर्युक्त आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

5- प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सर्वप्रथम खुली प्रतियोगिता सूचानाम्य श्रेणी के 50 प्रतिशत सीटों को भरने के लिए मेरिट लिस्ट के आधार पर वांछित संख्या में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीटों को भरा जायेगा। उसके उपरान्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को बनायी गयी मेरिट सूची में से, इनमें से प्रत्येक के लिए वांछित संख्या में, उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीटों को भरा जायेगा। उसके उपरान्त यह देखा जायेगा कि श्रेणी आरक्षण वाले वर्ग के कितने अभ्यर्थियों

इस ढंग से तैयार चयन सूची के आधार पर चयनित हो चुके हैं यदि क्षैतिज आरक्षण के लिए निर्धारित कोटे के अभ्यर्थीगण उपर्युक्त आधार पर चयनित हो चुके हों तो उनके लिए पुनः किसी आरक्षण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। यदि क्षैतिज आरक्षण के विहित कोटा में वर्गीकृत संख्या में अभ्यर्थीगण चयनित न हुये हों तो क्षैतिज आरक्षण वाले प्रत्येक वर्ग के अभ्यर्थीगण को मेरिट सूची के आधार पर, उसी ढंग से समायोजित किया जायेगा जैसा कि इस शासना-देश के प्रस्तर-2 में निर्दिष्ट है। क्षैतिज आरक्षण के अभ्यर्थी जिस वर्ग के हों उतनी संख्यामें उसी वर्ग के अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट सूची से निकालते हुये क्षैतिज आरक्षण वाले उस वर्ग के अभ्यर्थी को उसी वर्ग की चयन सूची में प्रतिस्थापित/समायोजित कर दिया जायेगा। अर्थात् यदि क्षैतिज आरक्षण का उपर्युक्त ढंग से चयनित अभ्यर्थी अनारक्षित सामान्य वर्ग का हो तो सामान्य वर्ग की मेरिट सूची के अंतिम अभ्यर्थी को उसी सूची में से निकालते हुये उसके स्थान पर क्षैतिज आरक्षण के आधार पर चयनित उस अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूची में प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा। क्षैतिज आरक्षण वाले अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति या अनुसूचितजनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का होने पर उपर्युक्त प्राप्ति अपनायी जायेगी।

6- यदि अनुसूचित जनजाति के उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो इस श्रेणी के रिक्त स्थान को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

7- यदि प्रवेश हेतु संबंधित शैक्षिक क्षेत्र में घोषित अंतिम तिथि तक विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त घोषित अंतिम तिथि से 15 दिन की अवधि के पश्चात् उन्हें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर भरा जासकता है। इस 15 दिन की अवधि के मध्य यदि आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाते हैं तो आरक्षित स्थान उनसे ही भरे जायेंगे।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय,

HO


§ दिनेश राय §
मुख सचिव।

संख्या-1371/2002-नोएड-1-2002, तद्विद्वत्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १११ समस्त डिग्री स्तरीय अभियंत्रण संस्थाओं के निदेशक/प्राचार्य।
- १२१ समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा एवं प्रधानाचार्य, उत्तर प्रदेश के संसद पालीटेक्निक संस्थान।
- १३१ निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- १४१ प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2/3
- १५१ आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,


जितेन्द्र राम त्रिपाठी
अनुसंधिव।